

**अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।**

दिनांक-27वीं नवम्बर 2018

सेवा में

**श्री विपिन अधेशरा एवं अन्य,**  
आवास सं0-ए0 इम्पीरियल बैंक एरिया,  
इनर सर्किल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।

विषय:- **मौजा-बिष्टुपुर, प्लॉट नं0-1169, खाता नं0-85, वार्ड नं0-03, थाना-1154, जमशेदपुर में निर्मित भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में आपके द्वारा निर्मित भवन का भौतिक निरीक्षण प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर से कराया गया। उनके ज्ञापांक-769 दिनांक-16.11.18 के माध्यम से समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित भवन के लिये निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक से अग्निशमन वाहन को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम पन्द्रह हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें सभी तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के सभी तलों में स्वचालित स्पिंकलर विथ अलार्म गौंग का संस्थापन कराया जाय।
6. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
7. भवन के सभी तलों को एड्रेसेबल फायर डिटेक्शन एवं अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
8. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का एक अल्टरनेट पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
12. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
13. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
14. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
16. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30mm मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

17. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
18. भवन के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. भवन में अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था संस्थापित कराये जाने के पश्चात् किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट एवं नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
22. मैरेज हॉल के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
23. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 & 6.4 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**RAM KRISHNA  
THAKUR**

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR  
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217,  
st=JHARKHAND,  
serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e9  
3ebbae15a4a6839d2aa85f8e9395d45, cn=RAM  
KRISHNA THAKUR  
Date: 2018.11.27 20:07:12 +05'30'

**(राम कृष्ण ठाकुर)**

**प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।**